

न्यायालय— सिविल जज(जू0डि0), मोहम्मदी—खीरी।

प्रा0दी0सं0—154 / 2018

सी0एन0आर0नं0—यू0पी0एल0पी0—120007152018

माधुरी

बनाम

विद्या देवी आदि।

दिनांक—20.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। वादिनी अनुपस्थित। प्रतिवादी उपस्थित है।
पत्रावली लंच बाद पेश हो।

लंच बाद—

पत्रावली पुनः पेश हुई। पुकार पर प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि विगत कई तिथियों से प्रस्तुत वाद में वादिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। आज भी बार—बार पुकार कराने पर वादिनी की ओर से उपस्थित कोई नहीं और न ही अनुपस्थिति दर्शाने हेतु कोई स्थगन प्रा0पत्र इत्यादि प्रस्तुत किया गया है। वादिनी को उपस्थित होने हेतु न्यायालय द्वारा न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी प्रस्तुत वाद को आगे चलाना नहीं चाहती है। अतः मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रस्तुत वाद वादिनी की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादिनी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पिंकी वर्मा)

सिविल जज (जू0डि0)

मोहम्मदी खीरी।

जे0ओ0कोड—यू0पी03627